उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-1
संख्या-2/2020/1047/12-1-20-110/2019
लखनऊः दिनांक 19 जून, 2020

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

उ0प्र0 कृषि सेवा (समूह-क पद) के उप कृषि निदेशक स्तर के निम्नलिखित अधिकारियों को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड पे रू0-7600/- मैट्रिक्स लेवल-12) के पदों पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. श्री अनिल कुमार तिवारी
2. श्री हरेन्द्र कुमार उपाध्याय
3. श्री राजेन्द्र कुमार सिंह
4. श्री त्रयम्यक मणि त्रिपाठी
5. श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान
6. श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव
7. डा0 अमरनाथ मिश्रा
8. श्री रमेश कुमार
9. श्री अंशु कुमार विश्नोई
10. श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह

2- उक्त प्रोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0-19564(एस0एस0)/2019 आनन्द कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-21053(एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-22815(ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अग्रिम निर्णय के अधीन होगी।

उपरोक्त अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

क्रमशः पृष्ठ-2 पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-2/2020/1047(1)/12-1-20-110/2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) अपर कृषि निदेशक (प्रशासन), कृषि भवन, लखनऊ।
(4) सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
(6) संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0, प्रयागराज को आगामी गजट अंक में प्रकाशनार्थ।
(8) संबंधित अधिकारीगण द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

यतीन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।